(21)

क्रम संख्या—274

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट.

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2440/सत्रह–वि–1—1(क)41-2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ].

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

अध्याय—2

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 11-ग का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11-ग में, उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

धारा 12-ख का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 12-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात:—

"12-ख (1) कार्य सम्पादन के लिये, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी, किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नही होगा :

ग्राम पंचायत की बैठकें

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा।"

(2) ग्राम पंचायत की बैठकें ऐसे स्थान पर, और ऐसी रीति से, आयोजित की जायँगी, जो नियत की जाय।

धारा 14 का संशोधन

4—धारा 14 में,—

(क) शीर्षक में शब्द "तथा उपप्रधान" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायँगी, अर्थात :—

"(1) ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाय और जिसकी कम से कम पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रधान को हटा सकती है।

(1-क) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों से होगी।"

(ग) उपधारा (3) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 14 ख का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 14-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :—

"14-ख (1) ग्राम पंचायत ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए और जिसकी कम से कम पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम पंचायत के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उपप्रधान को हटा सकती है।

उपप्रधान का हटाया जाना

(2) उपप्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी।

(3) यदि बैठक में प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाये तो उसी उपप्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपप्रधान को हटाने की प्रक्रिया भी है, जो ऐसी बैठक में अनुसरित की जाय, वही होगी जो नियत की जाए।"

अध्याय—3

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 61 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 61 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) कार्य सम्पादन के लिये, प्रति दो मास में जिला पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा।"

धारा 84 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 84 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) कार्य सम्पादन के लिये, प्रति दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा।"

धारा 239 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 239 में, उपधारा (2) में, सूची में, सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा से सम्बन्धित मद "च" में खण्ड (क) निकाल दिया जायगा।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन संघटित विभिन्न पंचायतों की अवधि, उनके संघटन के पश्चात् प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पाँच वर्ष है। उक्त अधिनियमों में, पंचायतों के संघटन के पश्चात् उनकी प्रथम बैठक का दिनांक नियत करने के लिए कोई समय सीमा की व्यवस्था नहीं है। परिणामतः, राज्य में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के कार्यकाल में एक रूपता नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण राज्य में उपर्युक्त पंचायतों का निर्वाचन एक साथ कराना कठिन हो जाता है।

2—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 में यह व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत, इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में तत्कालीन समस्त सदस्यों के दो तिहाई के बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। चूँकि, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है अतः यह समीचीन समझा गया है कि ग्राम सभा के सदस्यों को, जो प्रधान को निर्वाचित करते हैं, प्रधान को हटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

3—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 जिला पंचायतों को अन्य के साथ-साथ सड़कों पर किसी प्रकार के यातायात के विनियमन या निषेध की व्यवस्था करने हेतु उप विधि बनाने के लिए सशक्त करता है। उक्त शक्तियों के प्रयोग में जिला पंचायत द्वारा पड़ाव, अड्डों की नीलामी की जाती है जिसके पश्चात् ठेकेदार वाहनों से कर की वसूली करते हैं जिससे जनसामान्य को असुविधा होती है।

4—अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उपर्युक्त अधिनियमों को संशोधित किया जाए—

(1) पंचायतों को उनके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी प्रथम बैठक के लिए दिनांक नियत करने को बाध्यकार बनाना;

(2) प्रधान को हटाये जाने के लिए ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करना; और

(3) 1961 के उक्त अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (2) की सूची की मद "च" के खण्ड (क) का लोप करना।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2440(2)/XVII-V-1—1(KA)41-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001:—

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act No. 24 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER—I

Preliminary

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 2001.

CHAPTER—II

Amendment of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947

2. In section 11-C of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted*.

Substitution of section 12-B

3. *For* section 12-B of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"12-B (1) A Gram Panchayat shall ordinarily meet for the transaction of business at least once every month but two months shall not intervene between two consecutive meetings:

Meetings of Gram Panchayats

Provided that the date to be appointed for the first meeting of a Gram Panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution.

(2) The meetings of the Gram Panchayat shall be held at such place and in such manner as may be prescribed."

Amendment of section 14

4. In section 14 of the principal Act,—

(a) in the heading the words "and Up-Pradhan" shall be *omitted*.

(b) for sub-section (1) the following sub-sections shall be *substituted*, namely:—

"(1) The Gram Sabha may at a meeting specially convened for the purpose and of which atleast 15 days previous notice shall be given, remove the Pradhan by a majority of two-thirds of the members of the Gram Sabha present and voting.

(1-A) Notwithstanding anything contained in section 11, one-third of the members of the Gram Sabha shall form the quorum for a meeting under sub-section (1)."

(c) in sub-section (3) *for* the words "two years" the words "one year" shall be *substituted*.

Insertion of new section 14-B

5. *After* section 14-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"14-B(1) The Gram Panchayat may, at a meeting specially convened for Removal of Up-Pradhan the purpose and of which at least fifteen days previous notice shall be given, remove the Up-Pradhan by a majority of two-thirds of the members of the Gram Panchayat.

(2) A meeting for the removal of a Up-Pradhan shall not be convened within two years of his election.

(3) If the motion is not taken up for lack of requisite majority at the meeting, no subsequent meeting for the removal of the same Up-Pradhan shall be convened within two years of the date of the previous meeting.

(4) Subject to the provisions of this section, the procedure for the removal of a Up-Pradhan, including that to be followed at such meeting, shall be such as may prescribed."

CHAPTER—III

Amendment of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961

Amendment of section 61 of U.P. Act no. 33 of 1961

6. In section 61 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) A Zila Panchayat shall meet for the transaction of business at least once in every two months:

Provided that the date to be appointed for the first meeting of a Zila Panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution."

Amendment of section 84

7. In section 84 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) A Kshettra Panchayats shall meet for the transaction of business at least once in every two months:

Provided that the date to be appointed for the first meeting of a Kshettra Panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution."

Amendment of section 239

8. In section 239 of the principal Act, in sub-section (2), in the list in item I relating to public safety and convenience, clause (a) shall be *omitted*.

By order

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The term of various Panchayats constituted under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 is five years from the date to be appointed for first meeting after their constitution. The said Acts do not provide any time limit for fixing the date of first meeting of the Panchayats after their constitution, consequently there is no uniformity in the duration of the Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and Zila Panchayats in the State, as a result of which it becomes difficult to hold elections of the aforesaid Panchayats simultaneously throughout the State.

2. The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 provides that the Gram Panchayat may, at a meeting specially convened for this purpose, remove the Pradhan by a majority of two-thirds of all the members. As the Pradhan is elected directly by the members of the Gram Sabha, it has been considered expedient that the members of the Gram Sabha, who elect the Pradhan, should be given power to remove him.

3. Section 239 of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 empowers the Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 empowers the Zila Panchayats to make bye-laws *inter alia* for the regulation or prohibition of any description of traffic in the streets. In exercise of the said powers, the Zila Panchayats auction the Padav Adda (Haltages) and thereafter the contractors realise tax on the vehicles, causing inconvenience to the general public.

4. It has, therefore, been decided to amend the aforesaid Acts to provide for,—

(1) making it obligatory for the Panchayats to appoint a date for their first meeting within thirty days of their constitution;

(2) conferring power on Gram Sabha for the removal of Pradhan;

(3) omission of clause *(a)* of item 'F' of the list in sub-section (2) of section 239 of the said Adhiniyam of 1961.

The Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 446 राजपत्र (हिन्दी)—(1184)—2001—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)
पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 184 सा० विधायी—(1185)—2001—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।